अध्याय–13

सदन में सीटों की व्यवस्था

बैठने की क्षमता

राज्य सभा का सदन अर्द्ध–गोलाकार या घोड़े की नाल के आकार का है और उसमें 250 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। संविधान को अंगीकार किए जाने से पूर्व यह प्रान्तों और काउंसिल ऑफ स्टेट का सदन था। मूलत: सदन में केवल 82 सदस्यों के बैठने की क्षमता थी। संविधान के अधीन निर्धारित 216 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करने के लिए सदन के रूप को बदला गया। 1957 में जब सदन में स्वचालित मतांकन उपकरण लगाया गया था तब बैठने की क्षमता बढ़ाकर 250 सदस्यों के लिए कर दी गई थी जो 1956 में यथासंशोधित संविधान के अधीन उपबंधित अधिकतम सदस्य–संख्या है।[1] सदन छह खंडों में (या कहिए कि किसी केक के कटे हुए टुकड़ों में) विभक्त है और प्रत्येक खंड में सात पंक्तियां हैं। पहले और छठे खंडों में 23–23 सीटें होती हैं और बाकी खंडों (2 से 5) में 51–51 सीटें होती हैं। सीटों पर खंड–वार क्रमिक रूप से संख्या अंकित की गई है और संख्याओं के अंक पहले खंड में सभापीठ की दाहिनी ओर पहली सीट से शुरू होते हैं और दूसरे खंड में तथा अन्य खंडों में भी इसी प्रकार से अंक दिए गए हैं। 1957 तक सीटों को खंड–वार नहीं बल्कि अर्द्धवृत्त की पंक्तियों के अनुसार संख्यांकित किया जाता था और सीटों के अंक सभापीठ की दाहिनी ओर से शुरू होते थे। सदन में स्वचालित मतांकन प्रणाली खंड–वार जुड़ी हुई है और उसके सूचक बोर्ड के कार्यकरण के लिए इस व्यवस्था को बदला गया था।[2] निम्नांकित चित्र सदन के सामान्य रेखा चित्र और बैठने की व्यवस्था का प्रतिबिंब है।

सीटों की व्यवस्था

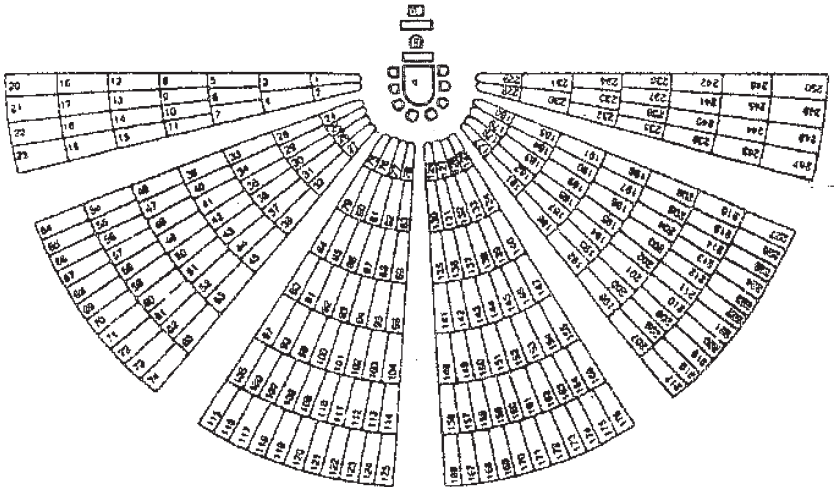

[स] सभापति [म] महासचिव [प] पटल [1] सभा के नेता [2] प्रधान मंत्री [229] उपसभापति [228] विपक्ष के नेता

पीठासीन अधिकारी की कुर्सी

राज्य सभा के सभापति की कुर्सी सदन के ठीक मध्य में अर्द्धगोलाकार स्थान के दो छोरों को जोड़ने वाले ऊंचे स्थान पर रखी हुई है। सभापति की कुर्सी के काष्ठ खंड पर एक उत्कीर्ण लेख ''हेवन्स लाइट अवर गाइड'' (''ईश्वरीय प्रकाश हमारा मार्गदर्शक है'') (बाइबल की प्रार्थना के शब्द) विद्यमान है। सदन के ऊपर तथा सभापति की कुर्सी के सामने काष्ठशिल्प पर राज्य सभा के प्रथम सभापति स्व॰ डा॰ एस॰ राधाकृष्णन् का चित्र टंगा हुआ है। सदन के ''पिट'' में कुर्सी के ठीक नीचे, महासचिव और अन्य अधिकारी तथा अधिकृत वृत्तलेखक बैठते हैं जो सभा पटल के कार्य में सहायता करते हैं।

पीठासीन अधिकारी की कुर्सी की दाहिनी ओर अधिकारी दीर्घा है जो उन अधिकारियों के प्रयोग के लिये है जिन्हें सभा के कार्य के संबंध में मंत्रियों की सहायता के लिए बैठना होता है। बायीं ओर एक विशेष कक्ष है जो विदेशों से आए संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों जैसे उन विशेष अतिथियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं जिन्हें सभापति, स्वविवेक से, सभा की कार्यवाही को देखने के लिए स्थान देना चाहेंगे।

सदन के प्रथम तल पर विभिन्न दीर्घाएं (सार्वजनिक दीर्घा, विशिष्ट दर्शक दीर्घा, राजनयिक दीर्घा, पत्रकार दीर्घा और लोक सभा सदस्य दीर्घा) हैं। फर्श पर बिछे कालीनों, गद्दीदार कुर्सियों और साज-सामान का मैरून रंग राज्य सभा के सदन और इसकी लॉबियों को लोक सभा के हरे रंग से भिन्न करता है।

बैठने की सामान्य व्यवस्था

सदस्य ऐसे क्रम में बैठते हैं जैसा सभापति द्वारा निर्धारित किया जाए।[3] सुस्थापित परंपरा के अनुसार सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को सभापीठ की दाहिनी ओर सीटें दी जाती हैं और विपक्षी दलों के सदस्यों को सभापीठ के बाईं ओर सीटें दी जाती हैं।

सभापीठ की दाहिनी ओर की पहली सीट सभा के नेता के लिए और दूसरी सीट प्रधान मंत्री के लिए आरक्षित है। सभापीठ की बाईं ओर की पहली सीट उपसभापति के लिए आरक्षित होती है और उससे अगली सीट विपक्ष के नेता के लिए आरक्षित होती है। जब तक विपक्ष का कोई मान्य नेता नहीं था तब तक यह सीट विपक्ष के उस समूह (ग्रुप) के नेता को आवंटित की जाती रही जिसके साथ सदस्य सर्वाधिक संख्या में संबद्ध थे।[4]

> 1952 में इस संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया गया था कि सभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा। सुविधा की दृष्टि से और इस दृष्टि से भी कि सभा की कार्यवाही के दौरान विशिष्ट समूहों के सदस्य एक दूसरे से सलाह करके कार्य कर सकें, इन समूहों के लिए कतिपय सीटें आवंटित की गईं थीं। साथ ही दीर्घकाल तक सार्वजनिक जीवन में रहे कुछ लब्ध-प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी उनकी व्यक्तिगत हैसियत से कुछ सीटें आवंटित की गईं थीं, चाहे वे सदस्य किसी विशिष्ट दल का प्रतिनिधित्व करते थे या नहीं करते थे।[5] विपक्ष के कुछ सदस्यों को भी सीटें आवंटित की गईं थीं[6] जो यथासंभव सामने की पंक्ति में होती थीं।[7] ये सीटें इन सदस्यों के नाम पर आवंटित की जाती थीं, और ऐसी प्रत्येक सीट पर एक कार्ड लगा होता था जिस पर सदस्य के नाम का उल्लेख होता था। 1957 के मानसून सत्र से सदस्यों की अपनी-अपनी सीटों पर नाम का लेबल लगाने की प्रणाली बदल दी गई और तब से सदस्यों की सीटों पर उन समूहों के नामों को दर्शाने वाले लेबल लगाए जा रहे थे जिन्हें सीटें आवंटित की गई थीं। विपक्ष के समूहों के बाकी सदस्यों को यथासंभव अपने नेताओं की सीटों से ठीक पीछे की पंक्ति में सीटें दी गईं थीं।[8] जहां तक सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का और ऐसे अन्य सदस्यों का संबंध है जिन्हें विशिष्ट रूप से सीटें आवंटित नहीं की गई थीं, वे बाकी सीटों पर बैठते थे और समूचे सत्र में ऐसा ही करते थे।[9]

1957 में स्वचालित मतांकन उपकरण के लगाए जाने के बाद सीटों पर खंड-वार संख्या अंकित करके संबंधित दल/समूह (ग्रुप) के नेताओं से (कांग्रेस के मामले में उप मुख्य सचेतक से) परामर्श करके उन्हें सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के तीन समूहों को आवंटित किया गया (कम्युनिस्ट-11, डेमोक्रेटिक ग्रुप-8 और पी॰ एस॰ पी॰ ग्रुप-3) और उसके अलावा उन्हें सभापति के निदेशों के अनुसार निर्दलीय तथा अन्य सदस्यों को भी आवंटित किया गया।[10]

1957 में विभाजन में मतों की गणना के लिए जो स्वचालित मतांकन उपकरण लगाया गया था उसके कारण यह आवश्यक हो गया था कि प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित सीट आवंटित की जाए जिस पर उसे बैठना होगा और जिसकी संख्या सभा में उसकी विभाजन-संख्या होगी। तब से प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित सीट आवंटित की जाती है जहां से उसे सभापति को संबोधित करना होता है[11] हालांकि सभापति की अनुमति से वह दूसरे स्थान से भी बोल सकता है। बहुधा सभापति ऐसे सदस्यों को, जिनकी आवाज अपनी सीटों पर से बोलते हुए साफ सुनाई नहीं देती, सामने आकर बोलने या उस सीट से बोलने की अनुमति देते हैं जहां से उनकी आवाज साफ सुनाई पड़ सके और उन्हें संबोधित कर सके। किन्तु यह सुविधा सिर्फ सभापति की अनुमति से दी जा सकती है।[12]

विभाजन के समय सदस्य को अपनी सीट पर लगे हुए उपकरण को चलाकर अपने मत को अंकित करना होता है अन्यथा मशीन कक्ष में लगाए गए मुख्य बोर्ड पर उसके मतदान की सही स्थिति नहीं आएगी। सदस्य को सीट का आवंटन होने के बाद उसे एक पत्र द्वारा उसकी विभाजन-संख्या की सूचना दी जाती है और उससे अनुरोध किया जाता है कि वह उस संख्या को हमेशा याद रखे और महासचिव को संबंधित प्रत्येक सूचना/संसूचना में उसका हवाला दे। इस प्रयोजन के लिए संसदीय समाचार में एक पैरा भी जारी किया जाता है।[13]

सीटों का आवंटन

मान्यता-प्राप्त दलों और समूहों (ग्रुपों) को उनकी अपनी-अपनी संख्या और सभा में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के अनुपात से सीटों के खंडों का आवंटन किया जाता है। सीटों के खंडों के आवंटन की दृष्टि से मान्यता-प्राप्त दल/समूह वे होते हैं जिनकी न्यूनतम सदस्य संख्या पांच हो।[14] सीटों के खंड में प्रत्येक सदस्य के लिए सीट का आवंटन संबंधित दल या समूह के नेता/सचेतक से परामर्श करके किया जाता है। छोटे या मान्यताविहीन समूहों के सदस्यों, निर्दलीय सदस्यों या उन नामनिर्देशित सदस्यों को जो किसी दल/समूह के नहीं हैं, सीटों का आवंटन सभापति द्वारा किया जाता है। ऐसे समूहों को जो सभा में कार्य करने के प्रयोजन से कोई संघ बना लेते हैं या एक साथ बैठने की इच्छा व्यक्त करते हैं, यथासंभव साथ-साथ लगी हुई सीटें आवंटित की जाती हैं।

1983 में, राज्य सभा के विभिन्न राजनैतिक दलों के बाईस सदस्यों ने सभापति से निवेदन किया कि उनके संघ को ''यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ मेम्बर्स'' के रूप में मान्यता दी जाए। सभापति ने सभा में कार्यकरण के सीमित प्रयोजन के लिए अर्थात् वाद-विवाद में भाग लेने के लिए समय के आवंटन और सदन में साथ-साथ लगी हुई सीटों के आवंटन के लिए इस संघ को मान्यता प्रदान की।[15]

1990 में राज्य सभा के विभिन्न राजनैतिक दलों के छह सदस्यों ने राज्य सभा में आपसी तालमेल और समय को आपस में बांटने के प्रयोजन के लिए एक समूह (ग्रुप) के रूप में कार्य करने का निर्णय किया। सभापति ने उसे एक ऐसे ग्रुप के रूप में मान्यता दी जो ''यूनाइटेड पार्लियामेंटरी ग्रुप'' के नाम से कार्य करेगा।[16] इस ग्रुप की सदस्य-संख्या समय-समय पर बदलती रही।

जैसाकि कहा जा चुका है, उपसभापति को सभापीठ के बाईं ओर की पहली पंक्ति में पहली सीट आवंटित होती है। विपक्ष के नेता को उपसभापति की सीट से अगली सीट आवंटित की जाती है।

1977 तक राज्य सभा में विपक्ष के नेता की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में अपने विभाजन तक एक मान्यता-प्राप्त ग्रुप थी और उसके नेता को उपसभापति की सीट से अगली सीट आवंटित की गई थी और उस दल के अन्य सदस्यों को उसके नेता की सीट के पीछे साथ-साथ लगी हुई सीटें आवंटित की गई थीं। बाद में सदस्य-संख्या में कमी हो जाने के कारण उसकी मान्यता समाप्त हो गई और उसका स्थान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने ले लिया। नवम्बर, 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद कुछ सदस्यों ने कांग्रेस (ओ) नामक नई पार्टी बनाई। उसे पहली बार विपक्ष की पार्टी के रूप में मान्यता मिली और उसके नेता को उपसभापति की सीट से अगली सीट आवंटित की गई।[17]

जो सदस्य सभा के नेता रहे हैं उन्हें सभापीठ के सामने वाली पहली पंक्ति में सीटें आवंटित की जाती हैं। सभापीठ की दाईं ओर के प्रत्येक खंड की पहली पंक्ति सामान्यत: उन मंत्रियों के लिए आरक्षित होती है जो राज्य सभा के सदस्य होते हैं। उन्हें सभा के नेता या संसदीय कार्य मंत्री के परामर्श से सीटें आवंटित की जाती हैं। जो मंत्री राज्य सभा के सदस्य नहीं होते उन्हें निश्चित सीटें आवंटित नहीं की जातीं। यदि इन पंक्तियों में कोई सीटें रिक्त रहती हैं तो ऐसे मंत्री उनमें बैठ सकते हैं जो सभा में कार्य के लिए उपस्थित होते हैं।

पहली पंक्ति में सामने की बीस सीटें होती हैं। जैसाकि कहा जा चुका है, उनमें से चार सीटें सभा के नेता, प्रधान मंत्री, उपसभापति और विपक्ष के नेता के लिए आरक्षित रहती हैं। बाकी सोलह सीटें विभिन्न मान्यता-प्राप्त दलों/समूहों को उनकी सदस्य-संख्या के अनुपात से विभक्त की जाती हैं। सामने की पंक्ति की सीटें राज्य सभा में कम से कम पांच सदस्यों वाले ग्रुपों के नेताओं के लिए होती हैं।[18] यदि सामने की पंक्ति में ऐसे ग्रुप के नेता के लिए सीट उपलब्ध न हो तो जब तक उसे ऐसी सीट उपलब्ध नहीं होती तब तक उसे कुछ समय के लिए अगली उपलब्ध पंक्ति में सीट दी जाती है किन्तु उसके ग्रुप की सदस्य-संख्या पांच या उससे अधिक बनी रहनी चाहिए।

1994 में द्विवार्षिक चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी पांच सदस्यों वाली पार्टी के रूप में आई किन्तु सामने की पंक्ति में सीट उपलब्ध न होने पर उसके नेता (श्री राम गोपाल यादव) तीसरी पंक्ति में एक सीट पर बैठते रहे।[19]

2002 में द्विवार्षिक चुनावों के बाद बहुजन समाज पार्टी पांच सदस्यों वाली पार्टी के रूप में आई, किन्तु सामने की पंक्ति पर सीट उपलब्ध न होने पर उसके नेता (श्री कांशी राम) तीसरी पंक्ति में एक सीट पर बैठते रहे।[19क]

सरकारी पार्टी के लिए आरक्षित खण्डों में सीटों का आवंटन सरकारी मुख्य सचेतक से परामर्श करके किया जाता है। सामान्यत: जो सदस्य पुन: चुनकर आते हैं उन्हें यथासंभव उनकी पहले की सीटें या उससे निकट की सीटें आवंटित की जाती हैं। भूतपूर्व मंत्रियों, राज्यपालों आदि को मंत्रियों की सीटों के पीछे की सीटें दी जाती हैं, लब्ध-प्रतिष्ठित या सक्रिय सदस्यों को सामने की पंक्तियों में सीटें दी जाती हैं और नए सदस्यों को सार्वजनिक जीवन आदि में उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार सीटें आवंटित की जाती हैं। जो सदस्य किसी न किसी समय सभा के नेता रहे हों उन्हें भी सामने की पंक्ति की सीटें आवंटित की जाती हैं चाहे वे किसी भी दल या ग्रुप से सम्बद्ध क्यों न हों।

श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री कृष्ण चन्द्र पंत, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री एम॰ एस॰ गुरुपदस्वामी और श्री पी॰ शिवशंकर– ये सभी सभा के नेता रहे थे और उन्हें सदन में सामने की पंक्तियों की सीटें आवंटित की गईं।[20]

उप-चुनावों में चुनकर आने वाले सदस्यों द्वारा यह अनुरोध प्राप्त होने पर कि सीटों का जो आवंटन हो चुका है उसमें परिवर्तन किया जाए, ऐसे अनुरोधों को मुख्य सचेतक द्वारा निपटाया जाता है और यदि वह किसी परिवर्तन के लिए सहमत हो जाता है तो ऐसा परिवर्तन सभापति की स्वीकृति के बाद ही किया जाता है। सामान्यत: सदस्यों को एक बार सीटों का आवंटन हो जाने पर एक ही सत्र के दौरान उनमें तब तक परिवर्तन नहीं किये जाते जब तक वे नितांत आवश्यक न हों और यदि कुछ परिवर्तन किए भी जाते हैं तो

यह सावधानी बरती जाती है कि उनके कारण सत्र की अवधि के दौरान बैठने की सामान्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

> राज्य सभा का सत्तरवां सत्र 17 नवम्बर, 1969 को शुरू हुआ। 18 नवम्बर, 1969 को कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया और उसे देखते हुए सदन में बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया।[21]

> 1990 में, 153वें सत्र के दूसरे भाग में द्विवार्षिक चुनावों में चुने गए उनहत्तर सदस्यों ने 9 और 10 अप्रैल, 1990 को शपथ ली या प्रतिज्ञान किया और उस पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद सदन में अपना स्थान ग्रहण किया और तद्नुसार सदन में बैठने की व्यवस्था में दो बार परिवर्तन किया गया।[22]

> 5 नवम्बर, 1990 को संसद् में जनता दल के नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि उनके दल के पांच सदस्यों को पार्टी-विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद उक्त पांच सदस्यों ने अन्य दस सदस्यों के साथ दावा किया कि मूल पार्टी में 5 नवम्बर, 1990 को विभाजन हो गया था और जनता दल (एस) नामक नई पार्टी बन गई थी। सभापति ने जनता दल (एस) को सभा में कार्यकरण के प्रयोजन के लिए एक ग्रुप के रूप में मान्यता दे दी और सदस्यों को जनता दल (समाजवादी) नामक नई पार्टी के बारे में सूचित किया गया क्योंकि उस समय यह पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी थी। इसके अनुसार सदन में बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया।[23]

> जैसाकि 2 जनवरी, 1991 को सभापति ने सभा में घोषणा की थी, कांग्रेस (आई) पार्टी राज्य सभा में मुख्य विपक्षी दल नहीं रह गया था। इसके फलस्वरूप पार्टियों के नेताओं से परामर्श करके 7 फरवरी, 1991 से सदन में बैठने की व्यवस्था में समुचित परिवर्तन किया गया जिससे पार्टियों के नेता संतुष्ट थे। उस दिन विपक्ष के एक सदस्य ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछते हुए कहा: ''...अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने के पहले क्या मुझे यह कहने की अनुमति दी जाएगी कि हम सब सदन में बैठने की नई व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हैं।''[24]

विपक्ष के जिन दलों या समूहों (ग्रुपों) को सभापति द्वारा मान्यता दी जाती है उन्हें अपनी सदस्य-संख्या के अनुपात के अनुसार साथ-साथ लगी हुई सीटों के खंड आवंटित किए जाते हैं जो सभापीठ की बाईं ओर से शुरू होते हैं। सर्वाधिक सदस्य-संख्या वाले दल या समूह को बिल्कुल बाईं ओर सीटें आवंटित की जाती हैं और उसके बाद जिस दल की सदस्य-संख्या सबसे अधिक होती है उसे उस दल या समूह की दाईं ओर सीटें आवंटित की जाती हैं और यह क्रम चलता रहता है। सभा के वरिष्ठ सदस्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं और इन मामलों में, इस बात पर विचार किए बिना कि वे किस दल या समूह के हैं, उन्हें सामने की पंक्तियों में सीटें आवंटित की जाती हैं।[25]

जब किसी दल या समूह की सदस्य-संख्या में परिवर्तन होता है तो उसकी बदली हुई सदस्य-संख्या के अनुपात में उसे सीटों का पुन: आवंटन किया जाता है। किन्तु यदि यह परिवर्तन सत्र की समाप्ति के कुछ ही दिन पहले होता है या यह संभावना होती है कि आसन्न द्विवार्षिक चुनावों में उसकी सदस्य-संख्या पहले जैसी हो जाएगी तो बैठने की व्यवस्था जैसी थी वैसी ही रहती है।

> पश्चिम बंगाल राज्य से राज्य सभा के छह सदस्य 9 जुलाई, 1993 को निवृत्त हुए। 168वां सत्र 26 जुलाई, 1993 से आरंभ हुआ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य-संख्या घटकर ग्यारह हो गई और जनता दल (एस) की संख्या बारह थी। उस राज्य में आसन्न द्विवार्षिक चुनावों तक सीटों की व्यवस्था पहले जैसी ही रही।[26]

जो अपेक्षाकृत छोटे समूह का सदस्य होता है उसे सभापति द्वारा सीट आवंटित की जाती है। ऐसे सदस्यों को सभापति के विवेकानुसार साथ-साथ लगी हुई सीटें दी जा सकती हैं या इस संबंध में अनुरोध किए जाने पर उन्हें अपनी सीटों की अदला-बदली करने की अनुमति दी जा सकती है।

जहां तक नामनिर्देशित सदस्यों का संबंध हैं, उन्हें सामान्यत: सभापति के सामने के चौथे और पांचवें खंडों में सीटें आवंटित की जाती हैं किन्तु उनमें से जो सदस्य किसी राजनैतिक दल के होते हैं उन्हें उस दल के लिए आरक्षित सीटें आवंटित की जाती हैं।

संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवृत्त होने के पहले ग्यारह नामनिर्देशित सदस्यों में से नौ सदस्य कांग्रेस (आई) में शामिल हो गए थे (ये थे: डा॰ लोकेश चन्द्र, श्री स्कातो स्वू, श्री वी॰ सी॰ गणेशन, श्री तिंडीवनम् के॰ राममूर्ति, श्री मदन भाटिया, श्री पुरुषोत्तम काकोडकर, श्री एच॰ एल॰ कपूर, श्री गुलाम रसूल कार और श्री हयात उल्ला अंसारी)। इन सदस्यों को कांग्रेस (आई) के खंड में सीटें आवंटित की गईं।[27] इसी प्रकार 2003 में सात नामनिर्देशित सदस्यों में से तीन सदस्य (श्रीमती हेमा मालिनी, डा॰ नारायण सिंह मानकलाव और श्री दारा सिंह) भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और तद्नुसार उन्हें भारतीय जनता पार्टी के खण्ड में सीटों का आवंटन किया गया था।[27क]

जब किसी उप-चुनाव में निर्वाचित या सत्र के बीच में नामनिर्देशित कोई सदस्य शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए आता है तब उसे उस खंड में सीट दी जाती है जहां उसके साथी बैठते हैं या उस खंड में सीट उपलब्ध न होने पर उसे उस खंड के निकटवर्ती खंड में अस्थायी रूप से सीट दी जाती है।

यदि संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3 और 4 के अनुसार विभाजन या विलय के फलस्वरूप कोई नई पार्टी या ग्रुप बनता है तो तद्नुसार सीटों की व्यवस्था को बदला जाता है।

राज्य सभा में लोक दल ग्रुप के नेता ने यह सूचित किया कि उसके तीन सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया है। चूंकि तीन निष्कासित सदस्यों ने यह तर्क दिया कि यह निष्कासन अमान्य है और यह दावा नहीं किया कि विभाजन हो गया है, इसलिए इन दोनों धड़ों को लोक दल-1 और लोक दल-2 के रूप में अनौपचारिक रूप से मान्यता दी गई और तद्नुसार सीटों का आवंटन किया गया।[28] 143वें सत्र (27 जुलाई, 1987 से 31 अगस्त, 1987) में लोक दल-1 के नेता को सामने की पंक्ति में सीट दी गई।[29]

1988 में लोक दल (ए) का, जो राज्य सभा में लोक दल-2 के रूप में था, जनता पार्टी में विलय हो गया। इसके पश्चात् लोक दल-1 के नेता श्री वीरेन्द्र वर्मा को सामने की पंक्ति में सीट दी गई।[30]

1988 में राज्य सभा में ए॰ आई॰ ए॰ डी॰ एम॰ के॰ ग्रुप में ग्यारह सदस्य थे। इस ग्रुप के एक धड़े ने यह दावा किया कि ग्रुप में विभाजन हो गया है। चूंकि विभाजन का दावा संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3 की अपेक्षाओं को पूरा करता था इसलिए ए॰ आई॰ ए॰ डी॰ एम॰ के॰ के दो धड़ों को सभा में कार्यकरण के सीमित प्रयोजन के लिए ए॰ आई॰ ए॰ डी॰ एम॰ के॰-1और ए॰ आई॰ ए॰ डी॰ एम॰ के॰-2 का नाम दिया गया। दोनों धड़ों के नेताओं को सामने की पंक्ति में सीटें आवंटित की गईं।[31]

1994 में जनता दल (एस) के आठ सदस्यों में से तीन सदस्यों ने दावा किया कि पार्टी में विभाजन हो गया है और नई पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल का नाम दिया गया है। इस बात को देखते हुए तीन सदस्यों के नए धड़े को अलग खंड में सीटें आवंटित की गईं।[32]

1994 में तेलुगु देशम् पार्टी में तीन सदस्य थे। श्रीमती रेणुका चौधरी ने पार्टी में विभाजन का दावा किया जबकि पार्टी के नेता का दावा था कि श्रीमती चौधरी को दल से निष्कासित कर दिया गया है। सभापति ने सभा में कार्यकरण के सीमित प्रयोजन के लिए दो सदस्यों वाली तेलुगु देशम् पार्टी को तेलुगु देशम् पार्टी-1 और श्रीमती रेणुका चौधरी की पार्टी को तेलुगु देशम् पार्टी-2 का नाम दिया और श्रीमती चौधरी की सीट को भी सत्र के बीच में बदल दिया गया।[33]

1997 में राज्य सभा में अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक ग्रुप के नेता ने राज्य सभा में बताया कि उसके ग्रुप के सात सदस्यों को निष्कासित कर दिया है। सात सदस्यों ने इसका विरोध किया और विभाजन का दावा नहीं किया । इन दोनों धड़ों को अ॰भा॰अन्नाद्रमुक-1 और अ॰भा॰अन्ना द्रमुक-2 का नाम दिया गया। इसके बाद अ॰भा॰अन्नाद्रमुक-2 में विभाजन हो गया और इस धड़े को अ॰भा॰अन्नाद्रमुक-3 का नाम दिया गया। तद्नुसार सदन में बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था।[34]

1997 में राज्य सभा में जनता दल में तेईस सदस्य थे। इस ग्रुप के एक धड़े ने विभाजन का दावा किया। चूंकि यह विभाजन, संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप था अत: इन दो धड़ों को जनता दल तथा राष्ट्रीय जनता दल का नाम दिया गया। इन दोनों ग्रुपों के नेताओं को सामने की पंक्ति में सीटों का आवंटन किया गया।[35]

1998 में उड़ीसा से जनता दल के एक सदस्य श्री दिलीप रे ने चार अन्य सदस्यों के साथ विभाजन का दावा किया। चूंकि यह दावा संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप था, अत: इस दल को 'बीजू जनता दल' के रूप में मान्यता दी गई तथा तद्नुसार, सीटों का आवंटन किया गया।[36]

1998 में तेलुगु देशम्-1 के एक मात्र सदस्य डा॰ डी॰ वेंकटेश्वर राव ने अपने दल का भा॰ ज॰ पा॰ में विलय किया। इसी प्रकार अ॰ भा॰ अन्नाद्रमुक-3 के एकमात्र सदस्य श्री पी॰ सुंदरराजन ने अ॰ भा॰ अन्नाद्रमुक-1 के साथ अपने दल का विलय किया। इन दोनों दलों के क्रमश: विलय के बाद उक्त सदस्यों को सीटों का आवंटन उनके संबंधित दलों के साथ किया गया।[37]

1999 में महाराष्ट्र विकास अघाडी दल के एकमात्र सदस्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ विलय किया और तद्नुसार उनको भा॰ रा॰ कां॰ के खण्ड के साथ सीट का आवंटन किया गया।[38]

वर्ष 2001 में राष्ट्रीय जनता दल के तीन सदस्य श्री रंजन प्रसाद यादव, श्रद्धेय धम्मा वीरियो और श्री महेन्द्र प्रसाद दल से निष्कासित किए गए थे। इन सदस्यों के निष्कासन के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सदस्य-संख्या दस से घटकर सात हो गई, जो समाजवादी पार्टी, जिसके नौ सदस्य थे, की सदस्य-संख्या से कम थी। इस विषय को ध्यान में लिया गया और सभा-कक्ष में इन दोनों दलों के बैठने के स्थानों की अदला-बदली कर दी गई।[39]

वर्ष 2001 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एकमात्र सदस्य श्री आर॰ के॰ आनंद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने दल का विलय कर दिया और उन्हें तद्नुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्लॉक में एक स्थान आवंटित किया गया।[40]

वर्ष 2003 में, तमिल मानिला कांग्रेस पार्टी (मूपनार) का, जिसके दो सदस्य (श्री जी॰ के॰ वासन और श्री बी॰ एस॰ ज्ञानादिशिखन) थे, राज्य सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ विलय हो गया। इस विषय को ध्यान में लिया गया और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्लॉक में स्थान आवंटित किए गए।[41]

टिप्पणियां और संदर्भ

1. फा॰ सं॰ सीएस/13/52-जीए तथा 38/1/57-टी
2. फा॰ सं॰ 38/1/57-टी
3. नियम 4
4. फा॰ सं॰ सीएस/13/52-जीए
5. -वही-
6. -वही- और संसदीय समाचार (2), 14.7.1952
7. फा॰ सं॰ 35/1/57-टी
8. फा॰ सं॰ 10/1/57-टी
9. फा॰ सं॰ सीएस/13/52-जीए/टी
10. फा॰ सं॰ 35/1/57-टी
11. नियम 237
12. राज्य सभा वाद-विवाद, 31.3.1970, कालम 186; 23.3.1982, कालम 372-73
13. उदाहरण के लिए, संसदीय समाचार (2), 15.4.1994
14. फा॰ सं॰ 13/87-टी, 13/89-टी तथा 13/90-टी
15. फा॰ सं॰ 11/83-टी
16. फा॰ सं॰ 11/90-टी
17. राज्य सभा वाद-विवाद, 17.11.1969, कालम 107–12
18. फा॰ सं॰ 13/87-टी, 13/89-टी तथा 13/90-टी
19. फा॰ सं॰ 13/94-टी

19क. फा॰ सं॰ 13/2002-टी

20. फा॰ सं॰ 13/82-टी, 13/85-टी, 13/86-टी, 13/87-टी, 13/90-टी तथा 13/91-टी

21. राज्य सभा वाद-विवाद, 17.11.1969, कालम 124
22. फा॰ सं॰ 13/90-टी
23. फा॰ सं॰ 46/90-टी, 13/90-टी तथा संसदीय समाचार (2), 24.12.1990
24. फा॰ सं॰ 13/91-टी, राज्य सभा वाद-विवाद, 2.1.1991, कालम 835–43 तथा 7.1.1991, कालम 28
25. फा॰ सं॰ 13/87-टी
26. फा॰ सं॰ 13/93-टी
27. फा॰ सं॰ 11/85-टी
27क. फा॰ सं॰ 11/2003-टी
27ख. किसी विधायी दल में विभाजन के मामले में निरर्हता से छूट संबंधी संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3 का संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के द्वारा लोप कर दिया गया था
28. फा॰ सं॰ 11/87-टी
29. फा॰ सं॰ 13/87-टी
30. फा॰ सं॰ 13/88-टी
31. -वही-
32. फा॰ सं॰ 13/94-टी तथा संसदीय समाचार (2), 6.5.1994
33. -वही- तथा संसदीय समाचार (2) 5.8.1994
34. फा॰ सं॰ 46/97-टी
35. -वही-
36. फा॰ सं॰ 46/98-टी
37. -वही-
38. फा॰ सं॰ 46/99-टी
39. फा॰ सं॰ 11/2001-टी
40. फा॰ सं॰ 46/2001-टी
41. फा॰ सं॰ 46/2003-टी